FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना रजावली दिनाँक 12-04-2026 जनपद फिरोजाबाद।

थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 27-03-2026 की रात्रि को ग्राम भैंसाबृजपुर में वादी के मकान की छत तोडकर चोरी की घटना करने वाले नामजद अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू को किया गया गिरफ्तार ।

- **अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू के कब्जे से चोरी गये चांदी के आभूषण (वजनी करीब 465 ग्राम) व 01 अवैध तंमचा 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस बरामद।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के नेतृत्व में थाना रजावली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.03.2026 की मध्य रात्रि में ग्राम भैंसाबृजपुर में वादी के मकान की छत तोड़कर चोरी की घटना को अन्जाम देने वाले नामजद अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू पुत्र खजान सिंह निवासी विशाना थाना चन्दपा जनपद हाथरस को मुखबिर की सूचना पर ग्राम शेखूपुर से नहर को जाने वाले मार्ग पर रोड़ के किनारे स्थित ट्यूबेल थाना क्षेत्र रजावली जनपद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से वादी के मकान से चोरी गये चांदी के आभूषण 01 कमर कौंधनी, 01 जोडी पायल, 01 गले की जंजीर व 01 तोडिया एवं 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.03.2026 की रात्रि को ग्राम भैसाबृजपुर थाना रजावली जिला फिरोजाबाद में मकान की छत तोडकर अभियुक्त के द्वारा चोरी की घटना को अन्जाम दिया गया था उक्त घटना के सम्बन्ध में मुकदमा वादी की तहरीर के आधार पर थाना रजावली पर मु0अ0सं0 048/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/305/331(4) बीएनएस0 बनाम दीपक उर्फ दीपू पुत्र खजान सिंह के विरुद्ध नामजद पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा लगातार सुरागरसी पतारसी करते हुए दिनांक 11.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 48/26 में वांछित नामजद अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू पुत्र खजान सिंह निवासी विशाना थाना चन्दपा जिला हाथरस उम्र को अभियुक्त के कब्जे वादी के मकान से चोरी किये गये चांदी के आभूषण एवं 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामदगी सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 कमर कौंधनी।
2. 01 जोडी पायल।
3. 01 गले की जंजीर।
4. 01 तोडिंया।
5. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त -

1. दीपक उर्फ दीपू पुत्र खजान सिंह निवासी विशाना थाना चन्दपा जिला हाथरस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 576/2019 धारा 395/412 भादवि0 थाना सिकन्दराराऊ जिला हाथरस।
2.मु0अ0सं0 203/2021 धारा 307/34 भादवि0 थाना सिकन्दराराऊ जिला हाथरस।
3.मु0अ0सं0 204/2021 धारा 25/27/3 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दराराऊ जिला हाथरस।
4.मु0अ0स0 267/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्दराराऊ जिला हाथरस।
5. मु0अ0सं0 078/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दपा जिला हाथरस।
6.मु0अ0सं0048/2026 धारा 305/331(4)/317(2)/115(2)/352/351(3)बीएनएस थाना रजावली जिला फिरोजाबाद।
7.मु0अ0सं0 63/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रजावली जिला फिरोजाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. बृजकिशोर सिंह थानाध्यक्ष थाना रजावली जिला फिरोजाबाद।
2.उ0नि0 दिलीप कुमार चौ0प्र0 नगला बीच थाना रजावली जिला फिरोजाबाद।
3.उ0नि0 राधेश्याम थाना रजावली जिला फिरोजाबाद।
4.कां0 59 गिरीश कुमार थाना रजावली जिला फिरोजाबाद।